



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 ई०

चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या- 148/XXXVI-A-1/2026-105/2012

देहरादून, 17 अप्रैल, 2026

“शुद्धि पत्र”

प० आ०-15

मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से वादों की पैरवी करने हेतु विधि अधिकारियों की आबद्धता संबंधी अधिसूचना सं०- 136/XXXVI-A-1/2026-105/2012, दिनांक 13.04.2026 के प्रस्तर-2 की तालिका के क्र०सं०-1 पर अंकित विधि अधिकारी श्री सक्षम गोयल को पैनल अधिवक्ता (मा० एन०जी०टी०) के पद पर आबद्ध किया गया है। उक्त अधिसूचना में विधि अधिकारी का नाम टंकण त्रुटिवश श्री समक्ष गोयल के स्थान पर श्री सक्षम गोयल अंकित हो गया है। अतः उक्त विधि अधिकारी के नाम को श्री समक्ष गोयल पढ़ा जाय।

3- उक्त अधिसूचना दिनांक 13.04.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अमित कुमार सिरोही,
प्रमुख सचिव।